



दिनांक 25.06.2022

प्रेस विज्ञप्ति 26 / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी / थाना फतेहपुर

- लूट की घटना का अनावरण
 - 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट गये 25 हजार रुपये नगद
- लूटे गये 20 लीटर मेंथा ऑयल
 - घटना में प्रयुक्त कार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 25.06.2022 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1-विशाल 2-श्री प्रकाश 3-विकेन्द्र उर्फ विपिन 4-राजू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट गये 25 हजार रुपये नगद, 20 लीटर मेंथा ऑयल, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 23.06.2022 को थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये, मेंथा आयल आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विशाल निवासी दलपतपुर थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या।
- 2-श्री प्रकाश निवासी जाल्हेखोर थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3-विकेन्द्र उर्फ विपिन निवासी कटरा सहवाजपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
- 4-राजू निवासी भदैय थाना कटरा जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- 1-लूट गये 25 हजार रूपये नगद।
- 2- 20 लीटर मेंथा ऑयल।
- 3- घटना में प्रयुक्त कार।
- 4- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी के 238.86 किलोग्राम मोटर के पार्टस,

- चोरी के 8.4 किलोग्राम ताबे के तार

- चोरी करने के उपकरण आदि

- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 24.06.2022 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना खतौली क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1-गौतम 2-प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी के 238.86 किलोग्राम मोटर के टूटे पार्टस, 8.4 किलोग्राम तांबे के तार, चोरी करने के उपकरण आदि, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 24.06.2022 को थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा ट्यूबेल से मोटर चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना

खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर के पार्टस आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौतम निवासी कैलावडा कलां थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2—प्रवीण निवासी कैलावडा कलां थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख रूपये कीमत की चोरी के 238.86 किलोग्राम मोटर के टूटे पार्टस,

2— चोरी के 8.4 किलोग्राम तांबे के तार।

3— चोरी करने के उपकरण आदि।

4— घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चॉदी के आभूषण, नगद रूपये

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 25.06.2022 को थाना मिश्रिख व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गंगानहर पटरी के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नितिन 2—कृष्ण बहादुर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चॉदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित/खोखा कारतूस, 830/—रूपये नगद बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 24.05.2022 को थाना मिश्रिख क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिश्रिख पर मु0अ0सं0—306/2022 धारा 392/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना मिश्रिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नितिन निवासी ग्राम तुसौरा थाना कछौना जनपद हरदोई।
- 2—कृष्ण बहादुर निवासी ग्राम तुसौरा थाना कछौना जनपद हरदोई।

बरामदगी

- 1—चौंटी के आभूषण।
- 2— 830/—रूपये नगद।
- 3— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना फरह

• 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.06.2022 को थाना फरह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रैपुराजाट ग्वालियर हाइवे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहून को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2019 धारा 395/397/420/467/468/471 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शाहून निवासी चोर गढी(गढी मेवात) थाना खोह जनपद भरतपुर, राजस्थान।

जनपद हमीरपुर/थाना ललपुरा

● पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 10 मोटर साइकिल

● 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 25.06.2022 को थाना ललपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजकीय शाक भाजी प्रक्षेत्र पौथिया हमीरपुर के गेट से 02 शातिर अभियुक्तों 1—जियालाल उर्फ श्रवण कुमार 2—पप्पू उर्फ शिवकुमार को पुलिस कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जियालाल उर्फ श्रवण कुमार के विरुद्ध जनपद हमीरपुर व मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त पप्पू उर्फ शिवकुमार के विरुद्ध जनपद हमीरपुर व म0प्र0 के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा जनपद हमीरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी करके सस्ते दामों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना ललपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जियालाल उर्फ श्रवण कुमार निवासी ग्राम पतारा डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

2—पप्पू उर्फ शिवकुमार निवासी ग्राम सहुरापुर थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना बाजार शुक्ल

- 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल
- भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद

दिनांक: 25.06.2022 को थाना बाजार शुक्ल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रीछ घाट पुल के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1—पिन्टू 2—जितेन्द्र उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद अमेठी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी कर मोटर साइकिल व उसके पार्टस अलग-अलग करके सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बाजार शुक्ल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पिन्टू निवासी ग्राम झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिनगाव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

2—जितेन्द्र उर्फ छोटू निवासी झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिनगाव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2—चोरी की भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्टस आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना जीयनपुर

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 79 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा
 - 8100/-रूपये नगद
 - 07 मोबाइल फोन
 - 01 चार पहिया वाहन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 25.06.2022 को थाना जीयनपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1-राहुल 2-अमन व 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 79 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा, 8100/-रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन, 01 इलेक्ट्रानिक तराजू, 167 पैकिंग की खाली पन्नी, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राहुल निवासी अटौली थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर।

2-अमन निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना कासीमाबाद जनपद गाजीपुर।

3-02 अभियुक्ता

बरामदगी

- 1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 79 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—8100/—रूपये नगद।
- 3—07 मोबाइल फोन।
- 4—01 चार पहिया वाहन।
- 5— 01 इलेक्ट्रानिक तराजू।
- 6—167 पैकिंग की खाली पन्नी।
- 7—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

एसटीएफ: अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह

के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 1.250 किग्रा क्रूड ब्राउन शुगर (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 1.25 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक: 25-06-2022 को एसटीएफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.250 किग्रा क्रूड ब्राउन शुगर (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 1.25 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

- 1— सत्येन्द्र भोक्ता पुत्र ललित सिंह भोक्ता, नि0 ग्राम भौंग कुरकुटा, थाना राजपुर जनपद चतरा (झारखण्ड)।
- 2— कृष्ण कन्हैया वर्मा पुत्र स्व0 राम आसरे वर्मा, निवासी हाजपुर, थाना ससौली, बाराबंकी।
- 3— प्रभात कुमार वर्मा पुत्र बजरंग बली, निवासी मिर्जापुर थाना कोठी, जनपद बाराबंकी।

बरामदगी :-

- 1- 1.250 किग्रा क्रूड ब्राउन शुगर (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 1.25 करोड़ रुपये)
- 2- फोर्ड एक्वायर कार नं0 यूपी 32 केएक्स 8891
- 3- रू0 5,620/- नगद।
- 4- 03 अदद मोबाईल फोन।
- 5- 02 अदद पैन कार्ड।
- 6- 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

रोडवेज बस स्टैण्ड के पास थाना-सिगरा, वाराणसी दिनांक 25-06-2022 समय 08.10 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्यालय, एस0टी0एफ0 लखनऊ से एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग झारखण्ड राज्य से अवैध मादक पदार्थ (क्रूड ब्राउन शुगर) की बड़ी खेप लेकर जनपद वाराणसी में आने वाले हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 घनश्याम राय, राजकुमार शुक्ला, आरक्षी शिवानन्द शुक्ला, कमाण्डो विनोद यादव की एक टीम कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद वाराणसी में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि 03 लोग झारखण्ड राज्य से फोर्ड एक्वायर कार नं0 यूपी 32 केएक्स 8891 में अवैध मादक पदार्थ (क्रूड ब्राउन शुगर) लेकर रोडवेज बस स्टैण्ड के पास आने वाले हैं, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए तीनों तस्करों को आज दिनांक 25-06-2022 को समय 08.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कन्हैया ने पूछताछ पर बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का निवासी हूँ। सत्येन्द्र भोक्ता उपरोक्त द्वारा झारखण्ड राज्य से अवैध मादक पदार्थ लाकर हम लोगों को दिया जाता है। आज मैं फोर्ड एक्वायर कार से चालक प्रभात के साथ सत्येन्द्र भोक्ता से

मादक पदार्थ (क्रूड ब्राउन शुगर) लेने वाराणसी आया था। इस ब्राउन शुगर की सप्लाई जनपद बाराबंकी सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में करता हूँ। इसके पूर्व भी दिनांक 30-03-2022 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने में जनपद बाराबंकी में पकड़ा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना-सिगरा जनपद वाराणसी में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।
